भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3697
उत्तर देने की तारीख 16 मार्च, 2026
25 फाल्गुन, 1947 (शक)

'खेलो इंडिया' योजना के अंतर्गत आवंटित निधि

3697. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खेलो इंडिया योजना (केआईएस) के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए भारत की तैयारियों का आकलन किया है;

(ग) 'टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम' (टॉप्स) के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले एथलीटों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या राष्ट्रीय खेल संघों में शासन (गवर्नेस) संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या पहले की गई हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत आवंटित और व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(करोड़ रु.)

वित्त वर्ष	आवंटित धनराशि	किया गया व्यय
2025-26	700.00	695.48 (28.02.2026 तक)
2024-25	746.54	620.75

2023-24	880.00	872.20
2022-23	600.00	596.39

(ख) सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण और संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों के साथ समन्वय करके युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित संरचित तंत्र के माध्यम से आगामी अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के लिए भारत की तैयारी का निरंतर आकलन करती है । टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) के तहत उच्च पदक क्षमता वाले उत्कृष्ट एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण, प्रतियोगिता एक्सपोजर, कोचिंग, खेल विज्ञान सेवाओं और विशेष उपकरणों सहित व्यापक सहायता प्रदान की जाती है। मिशन ओलंपिक प्रकोष्ठ इष्टतम तैयारी सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर एथलीटों के प्रशिक्षण और प्रदर्शन की समीक्षा करता है।

(ग) चालू वित्त वर्ष में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) के अंतर्गत कुल 328 एथलीटों को सहायता प्रदान की गई है।

(घ) राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) के शासन को भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 ("खेल संहिता") के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है । मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया कि मान्यताप्राप्त एनएसएफ जैसे राष्ट्रीय खेल परिसंघों पदाधिकारियों के संबंध में आयु और कार्यकाल प्रतिबंधों, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना, एथलीटों के अधिकारों की सुरक्षा करना आदि जैसे मूल और प्रमुख सिद्धांतों का अनुपालन करेंगे। सरकार ने इस बात पर बल दिया है कि राष्ट्रीय खेल परिसंघ अपनी मान्यता को वर्ष दर वर्ष बनाए रखने के लिए खेल संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करें। जहां भी कोई उल्लंघन पाया गया वहां वार्षिक मान्यता का निलंबन, मान्यता का नवीकरण न करना और मान्यता वापस लेने सहित आवश्यक कार्रवाई की गई।

राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 को खेल निकायों में पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिक कार्यपद्धतियों और सुशासन को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों के कल्याण को सुनिश्चित करने और ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्यपद्धतियों के अनुरूप खेल संबंधी विवादों का प्रभावी और समयबद्ध निपटान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम के चुनिंदा प्रावधानों को 01.01.2026 से अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के अधिनियमन के साथ, राष्ट्रीय खेल निकायों का शासन अब इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा शासित होगा।

(ङ) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवसंरचना को बढ़ावा देने सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती है। केंद्र सरकार केवल महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। तथापि, इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित खेलो इंडिया स्कीम और राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) जिनके तहत खेल अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, मांग-आधारित स्कीमें हैं। खेलो इंडिया स्कीम और एनएसडीएफ के तहत ग्रामीण क्षेत्रों सहित देशभर में

खेल अवसंरचना परियोजनाओं का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in और http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html. पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।
